सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 583 राँची, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

अधिसूचना

31 अक्टूबर, 2022

संख्या-04/रा०आ०मो०नि०(सुखाड़)-06/2022-1291--

विषय:- वर्ष, 2022 में मॉनसून का आगमन विलम्ब से होने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखण्ड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में ।

वर्ष, 2022 में झारखण्ड राज्य में सामान्य के विरूद्ध कम तथा विशेषकर मॉनसून के प्रारम्भ में औसत से कम वर्षापात हुआ है, जिससे खरीफ फसल पर दुष्प्रभाव पड़ा है ।

2. कृषि विभाग के पत्रांक-2904 दिनांक-30.10.2022 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलो/प्रखण्डों के सुखाड़ से सम्बन्धित विभिन्न आकड़े प्रतिवेदित किए गए हैं:-

(i) दिनांक-01.06.2022 से दिनांक-15.08.2022 की अवधि में सामान्य वर्षापात 658.9 mm के विरूद्ध 426.3 mm वर्षापात हुआ, जो सामान्य से 35% कम है। उक्त वर्षापात की जिलावार विवरणी - Annexure-1 संलग्न है ।

(ii) दिनांक-01.06.2022 से दिनांक-15.08.2022 की अवधि में जिलावार Standard Precipitation Index (SPI) विवरणी - Annexure-2 संलग्न है ।

(iii) दिनांक-15.08.2022 को 2827460 हेक्टेयर के विरूद्ध 1051441 (37%) हेक्टेयर में ही Crop Coverage हुआ है, जिसकी प्रखण्डवार विवरणी - Annexure-3 संलग्न है ।

(iv) दिनांक-15.08.2022 को प्रखण्डवार Vegetation Condition Index (VCI) की विवरणी - Annexure-4 संलग्न है।

(v) दिनांक-17.08.2022 को राज्य के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति - Annexure-5 संलग्न है ।

(vi) दिनांक-01.06.2022 से दिनांक-30.09.2022 की अवधि में सामान्य वर्षापात 1022.9 mm के विरूद्ध 817.9 mm वर्षापात हुआ, जो सामान्य से 20% कम है। उक्त वर्षापात की जिलावार विवरणी - Annexure-6 संलग्न है ।

(vii) दिनांक-30.09.2022 को 2827460 हेक्टेयर के विरूद्ध 1431610.55 (50.63%) हेक्टेयर में ही Crop Coverage हुआ है, जिसकी प्रखण्डवार विवरणी - Annexure-7 संलग्न है।

3. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2872 दिनांक-21.10.2022 द्वारा प्रेषित निदेशक, कृषि निदेशालय का प्रतिवेदन पत्रांक-4571 दिनांक-17.10.2022 में प्रतिवेदित है कि -

(i) "झारखण्ड राज्य में सामान्य परिस्थिति में 15 जुलाई तक 80% धान का रोपा एवं 31 जुलाई तक 100% तक धान का रोपा (Transplanting) की जाती है। 31 जुलाई के बाद का Transplanting late sowing की श्रेणी में आता है। Late Transplanting की स्थिति में उसके उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष 2022 में 31 जुलाई तक सभी फसलों का आच्छादन 28.27 लाख हे॰ के विरूद्ध मात्र 6.97 लाख हे॰ (24.64%) हुआ है जबकि गत वर्ष कुल फसल आच्छादन इस समय तक 15.88 लाख हे॰ (56.19%) हुआ था, जिसमें धान का आच्छादन 18 लाख हे॰ के विरूद्ध मात्र 2.84 लाख हे॰ (15.78%) हुआ, जबकि धान का आच्छादन शत-प्रतिशत हो जाना चाहिए था। 15 अगस्त, 2022 तक कुल फसल आच्छादन के लक्ष्य 28.27 लाख हे॰ के विरूद्ध मात्र 10.51 लाख हे॰ (37.18%) हुआ है, जबकि गत वर्ष फसल आच्छादन 23.48 लाख हे॰ (83.07%) हुआ था। राज्य में खरीफ मौसम में धान का Sowing का Window15 अगस्त है। उसके बाद धान की रोपनी से हथिया नक्षत्र में धान के रोपनी के उपरांत धान के पौधे का Vegetative Stage में रहने एवं Flowering Stage उस समय तक नहीं आ पाने के कारण Grain Setting पर प्रतिकूल असर पड़ता है एवं उत्पादकता प्रभावित होती है।"

(ii) "1 जून से 31 जुलाई, 2022 तक सामान्य वर्षापात 508.2 मिली मीटर के विरूद्ध मात्र 258.7 मि॰मी॰ वर्षा (51%) हुई है, जबकि 1 जून से 15 अगस्त तक सामान्य वर्षापात 658.9 मि॰मी॰ के विरूद्ध 426.3 मि॰मी॰ (65%) वर्षा हुई है। यह वह समय था जब धान एवं अन्य खरीफ फसलों की रोपाई/बुआई का उपयुक्त समय था एवं वर्षा कम होने के कारण रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।"

(iii) "माह अगस्त में भी 15 अगस्त 2022 तक माह का सामान्य वर्षापात 276.2 मि॰मी॰ के विरूद्ध 130.1 मि॰मी॰ वर्षा हुई है, जो 47% है। फलतः राज्य में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।"

(iv) "विलंब से रोपा होने की स्थिति में एवं वर्षा की कमी के फलस्वरूप धान के पौधे जिसे सितम्बर माह में reproductive stage में होने थे वो Late Sowing एवं moisture stress के कारण vegetative stage में रह जाएगा एवं flowering भी प्रभावित होने की संभावना है। साथ ही flowering प्रभावित होने की स्थिति में grain setting भी प्रभावित होने की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है, जिससे उत्पादन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। अधिकांश प्रखण्डों में फसल के उत्पादन में काफी अधिक ह्रास होने का अनुमान है ।"

4. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2872 दिनांक-21.10.2022 द्वारा प्रेषित निदेशक, कृषि निदेशालय का प्रतिवेदन पत्रांक-4571 दिनांक- 17.10.2022 में प्रतिवेदित है कि -

(i) "Drought Manual 2016 (संशोधित) में निहित प्रावधान के अनुसार सुखाड़ चिह्नित प्रखण्डों में Ground Truthing किए जाने का प्रावधान है। Ground Truthingमें सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक प्रखण्ड में 10% ग्रामों (Randomly Selected) का निरिक्षण के लिए चयन करते हुए चिह्नित किए गए प्रत्येक ग्राम के पाँच अलग-अलग Location पर Ground Truthing कराकर प्रतिवेदन समर्पित की गई है। Ground Truthing में 33 से 50 प्रतिशत Crop Loss होने पर moderate एवं 50 प्रतिशत से अधिक Crop Loss होने पर severe category में चिह्नित की गई है ।"

(ii) "Drought Manual (संशोधित) में निहित प्रावधान के आलोक में 15.08.2022 की तिथि में विभिन्न Drought impact Indicator के आकड़ों एवं Ground Truthing (GT) सभी जिलों में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के 24 जिलों में से 02 जिले पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा के सामान्य होने के कारण राज्य के कुल 22 जिलों के कुल-226 प्रखण्डों (154 प्रखण्ड-severe, 72 प्रखण्ड-moderate) को अंतिम रूप से सुखाड़ प्रखण्ड के रूप में घोषित किए जा सकते है।"

5. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2872 दिनांक-21.10.2022 द्वारा प्रेषित निदेशक, कृषि निदेशालय के प्रतिवेदन पत्रांक-4571 दिनांक-17.10.2022 के आलोक में दिनांक-29.10.2022 को झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य के 22 जिलों-बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूँटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ एवं पश्चिमी सिंहभूम के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया।

6. उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्णयानुसार कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2872 दिनांक-21.10.2022 एवं पत्रांक-2904 दिनांक-30.10.2022 द्वारा प्रेषित निदेशक, कृषि निदेशालय के प्रतिवेदन पत्रांक-4571 दिनांक-17.10.2022 एवं दिनांक-29.10.2022 को सम्पन्न झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य के निम्नवत् 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है:-

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	Moderate Category		Severe Category	
		प्रखण्डों की संख्या	प्रखण्ड का नाम	प्रखण्डों की संख्या	प्रखण्ड का नाम
01.	बोकारो	06	जरीडीह, कसमार, पेटरवार, गोमिया, बेरमो एवं नावाडीह	00	-
02.	चतरा	03	कान्हाचट्टी, सिमरिया एवं टण्डवा	02	ईटखोरी एवं मयुरहंड
03.	देवघर	00	-	10	सारवां, सारठ, करौं, देवघर, मोहनपुर, सोनाराय ठाढ़ी, मधुपुर, पालोजोरी, मारगोमुण्डा एवं देवीपुर
04.	धनबाद	00	-	10	गोविंदपुर, टुण्डी, तोपचांची, धनबाद, बलियापुर, निरसा, कालियासोल, एगारकुण्ड, पूर्वी टुण्डी एवं बाघमारा
05.	दुमका	00	-	10	जरमुण्डी, दुमका, जामा, मसलिया, रानेश्वर, शिकारीपाड़ा, सरैयाहाट, रामगढ़, काठीकुंड एवं गोपीकान्दर
06.	गढ़वा	00	-	20	मेराल, डंड़ई, रमना, विशुनपुरा, भवनाथपुर, चिनियां, मझिआंव, सगमा, गढ़वा, डंडा, रंका, काण्डी, धुरकी, बड़गड़, नगरऊंटारी, रमकण्डा, बरडीहा, केतार, खरौंधी एवं भण्डरिया
07.	गिरिडीह	00	-	13	गाण्डेय, बंगाबाद, जमुआ, धनवार, बगोदर, सरिया, डुमरी, पीरटांड़, गिरिडीह, बिरनी, तिसरी, देवरी एवं गांवा
08.	गोड्डा	00	-	09	गोड्डा, पथरगामा, बसंतराय, महागामा,

					मेहरमा, बोआरीजोर, सुन्दर पहाड़ी, पोडैयाहाट एवं ठाकुरगंगटी
09.	गुमला	09	गुमला, पालकोट, चैनपुर, डुमरी, जारी, कामडारा, सिसई, भरनो एवं विशुनपुर	02	घाघरा एवं रायडीह
10.	हजारीबाग	03	डाड़ी, बड़कागांव एवं केरेडारी	13	हजारीबाग, चुरचू, दारू, ईचाक, टाटीझरिया, कटकमसांडी, कटकमदाग, बरही, चैपारण, बरकट्ठा, चलकुशा, पदमा एवं विष्णुगढ़
11.	जामताड़ा	00	-	06	नरायणपुर, करमाटांड, जामताड़ा नाला, कुण्डहित एवं फतेहपुर
12.	खूँटी	00	-	06	खूँटी, मुरहू, अड़की, कर्रा, तोरपा एवं रनियां
13.	कोडरमा	00	-	05	कोडरमा, जयनगर, मरकच्चो, डोमचांच एवं सतगांवा
14.	लातेहार	02	महुआडांड़ एवं गारू,	07	हेरहंज, बारियातू, लातेहार, चन्दवा, बालूमाथ, मनिका एवं बरवाडीह
15.	लोहरदगा	07	लोहरदगा, सेन्हा, भण्डरा, कुडू, कैरो, किस्को एवं पेशरार	00	-
16.	पाकुड़	00	-	06	पाकुड़िया, पाकुड़, हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, आमड़ापाड़ा एवं महेशपुर
17.	पलामू	00	-	21	मनातु, लेस्लीगंज, पांकी, मेदिनीनगर, तरहसी, विश्रामपुर, नावाबाजार, पाण्डु, पड़वा, हरिहरगंज, छतरपुर, नवडीहा बाजार, रामगढ़, चैनपुर, उटारीरोड, पाटन, सतबरवा, हैदरनगर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज एवं पिपरा
18.	रामगढ़	05	दुलमी, चितरपुर, मांडू, पतरातु एवं गोला	00	-

19.	राँची	14	माण्डर, बेड़ो, इटकी, ओरमांझी, नामकुम, अनगड़ा, सिल्ली, तमाड़, रातू, नगड़ी, बुढ़मू, खलारी, लापुंग एवं बुण्डू	02	चान्हो एवं सोनाहातु
20.	साहेबगंज	00	-	09	बरहरवा, साहेबगंज, बोरियो, मंडरो, बरहेट, पतना, राजमहल, उधवा एवं तालझारी
21.	सरायकेला - खरसावाँ	08	सरायकेला, खरसावां, कुचाई, चाण्डिल, ईचागढ़, कुकडू, राजनगर एवं गम्हरिया	00	-
22.	पश्चिमी सिंहभूम	15	झींकपानी, टोन्टो, जगन्नाथपुर, नोवामुण्डी, मझगांव, कुमारीडुंगी, मंझारी, तांतनगर, चक्रधरपुर, सोनुवा, गोईलकेरा, मनोहरपुर, बंदगांव, हाटगम्हरिया एवं गुदड़ी	03	चाईबासा, खूंटपानी एवं आनंदपुर।
	कुल योग:-	**72**		**154**	

7. निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार को राज्य के उपर वर्णित 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों (154 प्रखण्ड-severe,72 प्रखण्ड-–moderate) को अंतिम रूप से सूखाग्रस्त घोषित होने के उपरान्त केन्द्रीय सहायता हेतु निर्धारित समयावधि में Memorandum of Assistance प्रेषित किया जाय।

8. उपरोक्त परिपेक्ष्य में निम्नवर्णित निर्णय लिये गये -

(i) राज्य आपदा मोचन निधि से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3,500/- (तीन हजार पाँच सौ) रुपये आनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

(ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि की वार्षिक कर्णांकित (Yearly Allocation) राशि के 25% की सीमा तक उपलब्ध राशि से उपरोक्त व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि के लिए अनुपूरक के माध्यम से सुसंगत शीर्ष अंतर्गत बजटीय उपबंध कराया जायेगा ।

(iii) भारत सरकार को Memorandum of Central Assistance भेजने के फलस्वरूप यदि भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राशि स्वीकृत की जाती है तो उस परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा 25% से अधिक उपलब्ध करायी गयी राशि को उक्त प्राप्त राशि से सामंजित किया जायेगा ।

(iv) भारत सरकार द्वारा स्वीकृति होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को आनुग्राहिक राहत/कृषि इनपुट अनुदान का अनुमान्य लाभ उक्त आनुग्राहिक राहत की राशि 3,500/-(तीन हजार पाँच सौ) रुपये को सामंजित करते हुए दिया जायेगा ।

(v) सुखाड़ प्रभावित परिवारों को आनुग्राहिक राहत की राशि उपलब्ध कराने हेतु आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि की राशि का आवंटन, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सम्बन्धित उपायुक्त को किया जायेगा ।

(vi) सुखाड़ से प्रभावित निम्न परिवारों को तत्काल राहत हेतु 3,500/-(तीन हजार पाँच सौ) रुपये आनुग्राहिक राहत की राशि दी जायेगी:-

(क) सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक, जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई (Sowing) नहीं की गई हो, परन्तु पारम्परिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई (Sowing) का कार्य करते रहे हों ।

(ख) सुखाड़ से प्रभावित कृषक, जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हुई हो ।

(ग) भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ हो ।

(vii) सुखाड़ से प्रभावित परिवारों से प्राप्त आवेदन के सत्यापन के पश्चात् अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को प्रेषित किया जायेगा। उपायुक्त को प्राप्त प्रतिवेदन पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से आनुग्राहिक राहत की राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(viii) सुखाड़ के फलस्वरूप सहायता देने के संबंध में आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा ।

(ix) सुखाड़ से प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने का पर्यवेक्षण कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी ।

(x) अधिसूचित जिलों के वर्णित प्रखण्डों में सुखाड़ के फलस्वरूप सहायता भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)/राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मद एवं मापदण्डों के अनुरूप देय होगी ।

(xi) राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)/राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से राशि के व्यय में भारत सरकार के मार्ग निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा ।

9. उपरोक्त कंडिका-6, 7 एवं 8 में अंकित निर्णय माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत की आगामी बैठक में शामिल किये जाने एवं स्वीकृति की प्रत्याशा में लिया गया है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रति सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 583 - 50